न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम, **—सह— विशेष न्यायाधीश, किशनगंज।** **उपस्थितः— सुरेश कुमार सिंह — II** **निर्णय की तिथिः— 25.05.2026** **विशेष वाद (एस.सी./एस.टी.) संख्या— 30/2018** **C.I.S No.- 54/2017** **परिवाद वाद संख्या— 46सी/2017**
सूचिका — शुकन्ती देवी, पति — सागर ऋषि देव, निवासी— बरारो, थाना व जिला— किशनगंज.....अभियोजन। द्वारा प्रस्तुति— श्री आदु लाल (विद्वान विशेष लोक अभियोजक)

अभियुक्तगणः—	1. मोजीबुर रहमान, 2. फतेबुर रहमान, 3. तबरेज आलम उर्फ मो0 तबरेज, 4. फयाक आलम उर्फ मो0 फयाक आलम, 5. महफूज आलम, 6. मास्टर खुर्शीद आलम उर्फ मास्टर खुर्शीद, 7. तहजीब आलम एवं 8. डा0 मोजीब उर्फ मोजीब।
द्वारा प्रस्तुति—	विद्वान अधिवक्ताः— श्री इम्तियाज अली।

अपराध की तारीखः—	16.10.2017 से 17.10.2017 तक
परिवाद पत्र दाखिल करने की तिथिः—	31.10.2017
संज्ञान की तिथिः—	26.09.2018
आरोप गठन की तिथिः—	10.06.2019
धारा—313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः—	14.05.2024
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः—	25.05.2026
निर्णय की तिथिः—	25.05.2026
दण्डादेश की तिथिः—	

Accused Details:-

Rank of the Accused	
अभियुक्त का नाम एवं पताः—	1. मोजीबुर रहमान, पिता— ताहिर, 2. फतेबुर रहमान, पिता— सैदुर रहमान, 3. तबरेज आलम उर्फ मो0 तबरेज, पिता— कुर्वान अली, 4. फयाक आलम उर्फ मो0 फयाक आलम, पिता— झोरझुल्ला, 5. मास्टर खुर्शीद आलम उर्फ मास्टर खुर्शीद, पिता— मोजीबुर रहमान, 6. तहजीब आलम, पिता— इमाम गफूर एवं 7. डा0

	मोजीब उर्फ मोजीब, पिता– इमामुद्दीन, सभी साकिन– बरारो, एवं 9. महफूज आलम, पिता– अब्दुल जलील उर्फ बुआली सरकार, साकिन– घाटबाभनटोली, सभी थाना व जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	10.04.2019
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	10.04.2019
चार्जः–	U/S- 147, 341, 323, 448, 504, 427 of IPC & 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(z) of SC/ST Act.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Attached:-

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**साक्ष्य की प्रकृतिः–** **चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–</u>

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

<u>निर्णय</u>

1. उपरोक्त अभियुक्तगण 1. मोजीबुर रहमान, 2. फतेबुर रहमान, 3. तबरेज आलम उर्फ मो0 तबरेज, 4. फयाक आलम उर्फ मो0 फयाक आलम, 5. महफूज आलम, 6. मास्टर खुर्शीद आलम उर्फ मास्टर खुर्शीद, 7. तहजीब आलम एवं 8. डा0 मोजीब उर्फ मोजीब के विरूद्ध धारा 147, 341, 323, 448, 504, 427 of IPC & 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(z) of SC/ST Act. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है तथा विचारण का सामना कर रहे है।

2. सूचिका द्वारा परिवाद पत्र में दाखिल किये गये सारांश में अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि दिनांक 16.10.2017 को समय लगभग 10.00 बजे सुवह अभियोगनी आंगन के हता मे पानी पीने के लिए टिवल गाड़ रही थी तभी अचानक उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण हर्वे हथियार से आकर अभियोगनी को जाति सूचक कहते हुए गंदी–गंदी गाली देने लगे एवं कहने लगे कि साली हरिजन, मुशहर का औलाद किससे पुछकर यहां टिवल गाड़ रही हो। तब अभियोगनी ने बोला कि यह जमीन सरकारी है जो खेरात कि है जिस पर इनके पूर्वज कई वर्षो से निवास करते आ रहे है। इतना कहना कि सभी अभियुक्तगण मिलकर अभियोगनी से मारपीट करने लगे तथा गंदा–गंदा गाली देने लगे। उसके बाद अभियोगनी के पति जब बचाने आये तब अभियुक्तगण उनके साथ भी मारपीट किये तथा गंदा–गंदा गाली दिये। सूचना पर प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों के द्वारा सम्प्रदायिक महौल को बिगड़ने से रोका गया। उसके पश्चात् दिनांक 17.10.2017 को समय लगभग 11.00 बजे दिन मे पुनः उपरोक्त अभियुक्तगण अभियोगनी के घर आ गये तथा इनके साथ तथा इनके घर मे मौजुद

महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगे तथा हरिजन जाति कह कर गाली गलौज करने लगे।

3. परिवादनी के शपथ पर बयान एवं जॉच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर विद्वान न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण 1. मोजीबुर रहमान, 2. फतेबुर रहमान, 3. तबरेज आलम उर्फ मो0 तबरेज, 4. फयाक आलम उर्फ मो0 फयाक आलम, 5. महफूज आलम, 6. मास्टर खुर्शीद आलम उर्फ मास्टर खुर्शीद, 7. तहजीब आलम एवं 8. डा0 मोजीब उर्फ मोजीब के विरूद्ध धारा 147, 341, 323, 448, 504, 427 of IPC & 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(z) of SC/ST Act. के अन्तर्गत विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् दिनांक 10.06.2019 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. मोजीबुर रहमान, 2. फतेबुर रहमान, 3. तबरेज आलम उर्फ मो0 तबरेज, 4. फयाक आलम उर्फ मो0 फयाक आलम, 5. महफूज आलम, 6. मास्टर खुर्शीद आलम उर्फ मास्टर खुर्शीद, 7. तहजीब आलम एवं 8. डा0 मोजीब उर्फ मोजीब के विरूद्ध धारा 147, 341, 323, 448, 504, 427 of IPC & 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(z) of SC/ST Act. में आरोप का गठन कर गठित आरोप को हिन्दी मे पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे वे इंकार किये एवं वाद विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में कोई साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया है।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराया गया है।

7. न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2026 को अभियुक्तों का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने को निर्दोष बताये।

8. वचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

<u>मन्तव्य</u>

10. यह मामला परिवाद वाद संख्या 46सी0/2017 से उत्पन्न हुआ है। इस वाद में परिवादनी का शपथ पर बयान एवं जॉच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दिनांक 26.09.2018 को अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लिया गया, दिनांक 10.06.2019 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप का गठन किया गया तत्पश्चात् साक्षियों की उपस्थिति हेतु दिनांक 14.06.2019 को साक्षियों के विरूद्ध सम्मन, दिनांक 28.04.2025 को जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया तथा अभियोजन को 07 वर्षो तक साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्वाध मौका दिया गया, लेकिन अभियोजन के तरफ से अपने अभिकथन को साबित करने के लिए एक भी साक्षियों को गवाही हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि इस मामले में अभियुक्तगण 08 वर्षो से

स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहा है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लेस मात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पर्याप्त समय देने के बाबजुद अभियोजन साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण 1. मोजीबुर रहमान, 2. फतेबुर रहमान, 3. तबरेज आलम उर्फ मो0 तबरेज, 4. फयाक आलम उर्फ मो0 फयाक आलम, 5. महफूज आलम, 6. मास्टर खुर्शीद आलम उर्फ मास्टर खुर्शीद, 7. तहजीब आलम एवं 8. डा0 मोजीब उर्फ मोजीब पर लगाये गये आरोप की धारा 147, 341, 323, 448, 504, 427 of IPC & 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(z) of SC/ST Act. को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

अभियुक्तगण 1. मोजीबुर रहमान, 2. फतेबुर रहमान, 3. तबरेज आलम उर्फ मो0 तबरेज, 4. फयाक आलम उर्फ मो0 फयाक आलम, 5. महफूज आलम, 6. मास्टर खुर्शीद आलम उर्फ मास्टर खुर्शीद, 7. तहजीब आलम एवं 8. डा0 मोजीब उर्फ मोजीब के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 448, 504, 427 of IPC & 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(z) of SC/ST Act. से उन्हें साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण तथा उनके प्रतिभूओं को उनके बन्ध पत्र के दायित्वों से उन्नमोचित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 25.05.2026

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 25.05.2026

Date of Judgemnet/Order	25-05-2026
Date of reserving Judgemnet/Order	25-05-2026
Uploading Date	27-05-2026
Uploading by	Deposition Writer